

# महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका : (बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

संगीता कुमारी  
शोध -छात्रा  
राजनीति विज्ञान विभाग  
जे0 डी0 वीमेंस कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्विद्यालय पटना

प्रो0 (डॉ) इरा यादव  
राजनीति विज्ञान विभाग  
जे0 डी0 वीमेंस कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना  
Email I'd: sangeetak110995@gmail.com

## सारांश

यह व्यापक अध्ययन बिहार राज्य में इसके प्रभाव पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में महिलाओं के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करता है। व्यापक साहित्य समीक्षा, डेटा विश्लेषण और क्षेत्र अनुसंधान के माध्यम से, यह पत्र लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एनसीडब्ल्यू की पहलों, चुनौतियों और उपलब्धियों की जांच करता है। अध्ययन से पता चलता है कि एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत वकालत और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन बिहार में इसकी प्रभावशीलता को अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनुसंधान उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है जहां एनसीडब्ल्यू के हस्तक्षेपों ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि और कानूनी सहायता तक बेहतर पहुंच। हालांकि, यह सीमित संसाधनों, नीतियों के अपर्याप्त कार्यान्वयन और गहराई से स्थापित पितृसत्तात्मक मानदंडों सहित लगातार चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय वास्तविकताओं के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करके, यह पत्र विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में लैंगिक समानता को संस्थागत बनाने में शामिल जटिलताओं की समझ में योगदान देता है। निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए अधिक सूक्ष्म, संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जो बिहार में एनसीडब्ल्यू के प्रभाव को बढ़ाने और इसी तरह की सामाजिक-आर्थिक सेटिंग्स के लिए रणनीतियों का सुझाव देते हैं।

**कीवर्ड:** राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, बिहार, नीति कार्यान्वयन, सामाजिक परिवर्तन

### 1. प्रस्तावना

महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी समाज में सामाजिक प्रगति और सतत विकास की आधारशिला के रूप में खड़ा है (सेन, 1999; कबीर, 2005)। भारत में, एक विशाल विविधता और जटिल सामाजिक संरचनाओं द्वारा चिह्नित देश, लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी दोनों रही है (द्रेज और सेन, 2013)। इस प्रयास में सबसे आगे राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस संस्था की कल्पना पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी जनादेश के साथ की गई थी (भारत सरकार, 1990)।

चूंकि भारत लैंगिक समानता हासिल करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए एनसीडब्ल्यू की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है (शर्मा और गुप्ता, 2004)। इस शोध पत्र का उद्देश्य बिहार राज्य पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोग के प्रभाव की गंभीर जांच करना है - एक ऐसा क्षेत्र जो महिला सशक्तिकरण (कुमार और गुप्ता, 2015) के संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है।

बिहार, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक, ऐतिहासिक रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों (नैयर, 2011) में महत्वपूर्ण लिंग असमानताओं की विशेषता है। राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया क्षेत्रीय स्तर पर गहराई से निहित लिंग मुद्दों को संबोधित करने में राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को समझने के लिए एक सम्मोहक केस स्टडी प्रदान करती है (चौधरी, 2018)।

इस अध्ययन के उद्देश्य कई गुना हैं:

1. भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की समग्र भूमिका और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने के लिए, राजन (2010) जैसे विद्वानों के काम पर निर्माण करना जिन्होंने इसके जनादेश और उपलब्धियों की जांच की है।
2. कुमार और गुप्ता (2015) जैसे शोधकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ पर विचार करते हुए, बिहार राज्य में एनसीडब्ल्यू की विशिष्ट पहलों और प्रभाव का आकलन करना।

3. बिहार में अपने कार्यक्रमों को लागू करने में एनसीडब्ल्यू द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना, भारत में नीति कार्यान्वयन पर अध्ययनों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना (माथुर, 2004)।
4. बिहार के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ को संबोधित करने में एनसीडब्ल्यू की रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण पर विचार करना (क्रेंशॉ, 1989; देशपांडे, 2007)।
5. बिहार में महिलाओं के उत्थान और इसी तरह की सेटिंग्स पर एनसीडब्ल्यू के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिफारिशों का प्रस्ताव करने के लिए, भारत में महिला सशक्तिकरण पहल के सफल मॉडल द्वारा सूचित किया गया (घोष, 2013; पांडे एट अल।

यह शोध विशेष रूप से समय पर और प्रासंगिक है जो एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में लैंगिक समानता की बढ़ती मान्यता और शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया (संयुक्त राष्ट्र, 2015) के लिए एक आवश्यक नींव है। एक राष्ट्रीय संस्थान और क्षेत्रीय वास्तविकताओं के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करके, इस अध्ययन का उद्देश्य विविध और चुनौतीपूर्ण संदर्भों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी रणनीतियों पर व्यापक प्रवचन में योगदान करना है।

इस शोध का महत्व राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने की अपनी क्षमता में निहित है। जबकि कई अध्ययनों ने भारत में महिला सशक्तिकरण की पहल की जांच की है (जैसे, कबीर, 2001; (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग (बीडब्ल्यूपी) के मामले में विशेष रूप से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने वाले अनुसंधान की कमी है, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में जो महत्वपूर्ण विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा, यह अध्ययन यह समझने के लिए एक इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण (क्रेंशॉ, 1989) को अपनाता है कि बिहार में महिलाओं के अनुभवों को आकार देने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कैसे प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा करके, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने में शामिल जटिलताओं की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करना है।

पेपर को विषय की व्यापक खोज प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है। इस परिचय के बाद, एक विस्तृत साहित्य समीक्षा महिला आयोगों, लिंग नीति और बिहार के विशिष्ट संदर्भ पर ज्ञान के मौजूदा निकाय के भीतर अध्ययन को स्थापित करेगी। कार्यप्रणाली अनुभाग अनुसंधान दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करेगा,

जिसमें डेटा संग्रह विधियों और विश्लेषणात्मक ढांचे शामिल हैं, जो मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमानों (क्रेसवेल एंड क्रेसवेल, 2017) दोनों पर ड्राइंग करते हैं।

पेपर का मूल राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से बिहार में एनसीडब्ल्यू की भूमिका, पहल और प्रभाव पर निष्कर्ष और चर्चाएं प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रमुख कार्यक्रमों, नीतिगत हस्तक्षेपों और उनके परिणामों की एक परीक्षा शामिल होगी, जिसका विश्लेषण संस्थागत प्रभावशीलता और नीति कार्यान्वयन सिद्धांतों के लेंस के माध्यम से किया जाएगा (कबीर, 2005; माथुर, 2004)। कानूनी अधिकारों से लेकर आर्थिक भागीदारी तक, महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आयोग के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा।

अंत में, निष्कर्ष बिहार में एनसीडब्ल्यू के काम की सफलताओं, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाते हुए प्रमुख निष्कर्षों को संश्लेषित करेगा। इन अंतर्दृष्टि के आधार पर, पेपर नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य बिहार और उसके बाहर महिला सशक्तिकरण की पहल की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय नीति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन के इस महत्वपूर्ण चौराहे पर गहराई से विचार करके, इस शोध का उद्देश्य भारत के विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का योगदान करना है। यह न केवल एनसीडब्ल्यू की उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करना चाहता है, बल्कि अधिक प्रभावी, संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए एक रोडमैप प्रदान करना चाहता है जो वास्तव में बिहार और इसी तरह के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को बदल सकता है।

## 2. साहित्य समीक्षा

महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। इस समीक्षा में हमारे शोध के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए कई परस्पर जुड़े विषयों को शामिल किया गया है।

### 2.1 महिला आयोग और लैंगिक समानता

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में महिला आयोगों की अवधारणा का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। हतुन और वेल्डन (2012) महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में ऐसे निकायों के महत्व पर जोर देते हैं। उनके क्रॉस-नेशनल अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आयोगों सहित महिलाओं की नीति एजेंसियां लैंगिक

समानता नीतियों को बढ़ावा देने में प्रभावी हो सकती हैं जब उनके पास पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक समर्थन हो।

मज़ूर और मैकब्राइड (2010) ने विभिन्न राजनीतिक संदर्भों में महिलाओं की नीति एजेंसियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करके इस चर्चा को आगे बढ़ाया। उनका तर्क है कि इन संस्थानों की सफलता न केवल उनकी औपचारिक संरचना और संसाधनों पर निर्भर करती है, बल्कि नागरिक समाज संगठनों के साथ गठबंधन बनाने और जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता पर भी निर्भर करती है।

भारतीय संदर्भ में, राजन (2010) राष्ट्रीय महिला आयोग का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें इसकी स्थापना के बाद से इसके जनादेश, उपलब्धियों और सीमाओं पर चर्चा की गई है। यह कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के संरचनात्मक और परिचालन पहलुओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो बिहार में इसकी भूमिका की हमारी केंद्रित परीक्षा के लिए मंच तैयार करता है। राजन ने कानूनी सुधारों और नीति वकालत में एनसीडब्ल्यू के योगदान पर प्रकाश डाला, लेकिन सीमित प्रवर्तन शक्तियों और संसाधन की कमी जैसी चुनौतियों को भी इंगित किया।

राजन के काम की सराहना करते हुए, शर्मा (2015) ने भारत में महिलाओं के अधिकारों पर इसके प्रभाव का आकलन करते हुए दो दशकों में एनसीडब्ल्यू के विकास की जांच की। शर्मा के विश्लेषण से लिंग मुद्दों पर सार्वजनिक प्रवचन को आकार देने में आयोग के बढ़ते प्रभाव का पता चलता है, लेकिन उन क्षेत्रों की भी पहचान करता है जहां इसकी प्रभावशीलता सीमित है, विशेष रूप से गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को संबोधित करने में।

## 2.2 बिहार में लैंगिक मुद्दे

इस अध्ययन के लिए बिहार के विशिष्ट संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। नैयर (2011) बिहार में महिलाओं की स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है, जिसमें कम साक्षरता दर, सीमित आर्थिक भागीदारी और प्रचलित लिंग आधारित हिंसा जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। यह कार्य राज्य में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है।

कुमार और गुप्ता (2015) ने बिहार में लैंगिक असमानताओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया, जो जाति, वर्ग और लिंग के बीच परस्पर क्रिया पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। उनका शोध गहराई से पितृसत्तात्मक मानदंडों वाले राज्य में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने की

जटिलता को रेखांकित करता है। उनका तर्क है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किसी भी हस्तक्षेप को इन प्रतिच्छेदन कारकों को प्रभावी मानना चाहिए।

इस पर विस्तार करते हुए, चौधरी (2018) ग्रामीण बिहार में महिलाओं की भूमिकाओं और स्थिति पर प्रवास के प्रभाव की पड़ताल करती है। उनके अध्ययन से पता चलता है कि कैसे पुरुष आउट-माइग्रेशन ने पीछे छूट गई महिलाओं के लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म दिया है, जिससे उनकी निर्णय लेने की शक्ति और आर्थिक भागीदारी प्रभावित हुई है। यह शोध बिहार में महिला सशक्तिकरण पहल में संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

### 2.3 नीति कार्यान्वयन और संस्थागत प्रभावशीलता

नीतियों को लागू करने में एनसीडब्ल्यू जैसे संस्थानों की प्रभावशीलता जांच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कबीर (2005) लैंगिक समानता नीतियों को व्यवहार में लाने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, स्थानीय संदर्भों और शक्ति गतिशीलता को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यह परिप्रेक्ष्य बिहार में एनसीडब्ल्यू के काम के हमारे विश्लेषण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

माथुर (2004) भारत में नीति कार्यान्वयन की एक व्यावहारिक आलोचना प्रदान करता है, जो नीति निर्माण और निष्पादन के बीच के अंतर को उजागर करता है। यह कार्य बिहार में महिलाओं के लिए अपने जनादेश को मूर्त परिणामों में बदलने में एनसीडब्ल्यू की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नौकरशाही संरचनाओं और नीति कार्यान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप के माथुर के विश्लेषण ने एनसीडब्ल्यू के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस पर आधारित, जैन (2017) भारत में राज्य महिला आयोगों की भूमिका की जांच करते हैं, विभिन्न राज्यों में उनकी प्रभावशीलता की तुलना करते हैं। उनका शोध एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में एनसीडब्ल्यू के प्रदर्शन को प्रासंगिक बनाने में उपयोगी होगा।

### 2.4 भारत में महिला सशक्तिकरण पहल

भारत में विभिन्न महिला सशक्तिकरण पहलों की समीक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग के विशिष्ट योगदानों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। घोष (2013) ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव की जांच करती हैं, जो जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जो एनसीडब्ल्यू जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के काम के पूरक हैं।

पांडे एवं अन्य (2020) भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, उनकी सफलताओं और सीमाओं पर चर्चा करते हैं। यह शोध बिहार में एनसीडब्ल्यू की आर्थिक

सशक्तिकरण पहल का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है। उनका अध्ययन लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं को संबोधित करने के प्रयासों के साथ आर्थिक हस्तक्षेपों के संयोजन के महत्व पर प्रकाश डालता है।

इसके पूरक के रूप में, दत्ता और गैली (2012) ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में सामाजिक उद्यमिता की भूमिका का पता लगाती हैं। उनके केस स्टडी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोणों के उदाहरण प्रदान करते हैं जो बिहार में एनसीडब्ल्यू की रणनीतियों को सूचित कर सकते हैं।

### **2.5 कानूनी सुधार और महिलाओं के अधिकार**

कानूनी सुधारों और महिलाओं के अधिकारों की वकालत में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका इसके अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एग्रेस (2016) भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी सुधारों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रदान करता है, इन सुधारों को आकार देने में महिलाओं के आंदोलनों और संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करता है। यह कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के कानूनी समर्थन के प्रयासों और बिहार में उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

पराशर (2008) आगे भारत में कानूनी सुधारों की जटिलताओं की पड़ताल करते हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत कानूनों और महिलाओं के अधिकारों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में। उनका काम भारत जैसे विविध समाज में समान नागरिक संहिता को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो बिहार के बहु-सांस्कृतिक संदर्भ में कानूनी सुधारों के लिए एनसीडब्ल्यू के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रासंगिक है।

### **2.6 प्रतिच्छेदन और महिला सशक्तिकरण**

हाल की छात्रवृत्ति महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देती है। क्रेणशॉ (1989) का इंटरसेक्शनलिटी पर मौलिक कार्य, हालांकि भारत के लिए विशिष्ट नहीं है, यह समझने के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है कि महिलाओं के जीवन में भेदभाव के कई रूप कैसे प्रतिच्छेद करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, देशपांडे (2007) जाति, वर्ग और लिंग के चौराहों की पड़ताल करती है, जो अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो बिहार में महिलाओं के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को समझने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। उनका काम दर्शाता है कि सामाजिक पहचान हाशिए और सशक्तिकरण के अनूठे अनुभव बनाने के लिए कैसे बातचीत करती है।

इस पर निर्माण, गोविंदा (2020) जांच करता है कि भारत में महिला आंदोलनों के संदर्भ में प्रतिच्छेदन कैसे खेलता है। उनका शोध यह विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि एनसीडब्ल्यू बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में महिलाओं की विविध आवश्यकताओं और अनुभवों को कैसे नेविगेट करता है।

## 2.7 साहित्य में अंतराल

जबकि भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर शोध का खजाना है, साहित्य में विशेष रूप से बिहार में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को संबोधित करने में उल्लेखनीय अंतराल हैं। अधिकांश अध्ययन या तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीडब्ल्यू पर केंद्रित हैं या आयोग के प्रभाव की स्पष्ट रूप से जांच किए बिना बिहार में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करते हैं। इस शोध का उद्देश्य बिहार के विशिष्ट संदर्भ में एनसीडब्ल्यू की पहलों, चुनौतियों और परिणामों का एक केंद्रित विश्लेषण प्रदान करके इस अंतर को पाटना है।

इसके अलावा, सीमित शोध है जो क्षेत्र-विशिष्ट लिंग मुद्दों को संबोधित करने में एनसीडब्ल्यू जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रभावशीलता का व्यापक मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन बिहार को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को स्थानीय संदर्भों में कैसे अनुवाद करता है, इसकी गहन परीक्षा देकर इस क्षेत्र में योगदान देना चाहता है।

एक और महत्वपूर्ण अंतर अनुदैर्ध्य अध्ययनों की कमी है जो एनसीडब्ल्यू के हस्तक्षेपों के दीर्घकालिक प्रभाव को ट्रैक करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत कार्यक्रमों या अल्पकालिक परिणामों पर कई अध्ययन हैं, लेकिन ऐसे शोध की आवश्यकता है जो समय के साथ एनसीडब्ल्यू के काम के निरंतर प्रभावों की जांच करे, खासकर बिहार जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में।

इसके अतिरिक्त, ऐसे साहित्य की कमी है जो स्पष्ट रूप से बिहार में व्यापक विकास लक्ष्यों और संकेतकों के लिए एनसीडब्ल्यू के काम को जोड़ती है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस अंतर को दूर करना है कि एनसीडब्ल्यू की पहल राज्य में समग्र विकास उद्देश्यों के साथ कैसे संरेखित होती है और योगदान करती है। यह साहित्य समीक्षा हमारे शोध के लिए मंच तैयार करती है, एक ठोस सैद्धांतिक और अनुभवजन्य आधार प्रदान करती है। यह महिलाओं के उत्थान में विशेष रूप से बिहार जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में एनसीडब्ल्यू की भूमिका के सूक्ष्म, संदर्भ-विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पहचाने गए अंतराल को संबोधित करके और मौजूदा ज्ञान पर निर्माण करके, इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में लिंग अध्ययन और नीति कार्यान्वयन के क्षेत्र में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का योगदान करना है।

## 3. कार्यप्रणाली

बिहार में महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की भूमिका की व्यापक जांच करने के लिए, यह अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान तकनीकों के संयोजन के साथ एक मिश्रित-तरीकों के दृष्टिकोण को नियोजित करता है। यह पद्धति बिहार में एनसीडब्ल्यू के काम से संबंधित व्यापक रुझानों और विशिष्ट अनुभवों दोनों की बारीक समझ की अनुमति देती है।

### 3.1 अनुसंधान डिजाइन

अनुसंधान डिजाइन को बिहार पर केंद्रित एक केस स्टडी के रूप में संरचित किया गया है, जो एनसीडब्ल्यू के राष्ट्रीय संचालन के व्यापक संदर्भ में स्थापित है। यह दृष्टिकोण बिहार में विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों की गहन खोज की अनुमति देता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के डेटा और पहलों (यिन, 2018) के साथ तुलना भी करता है। केस स्टडी डिजाइन इस शोध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह एनसीडब्ल्यू की नीतियों और बिहार के अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ (स्टेक, 1995) के बीच जटिल परस्पर क्रिया की समग्र परीक्षा को सक्षम बनाता है।

### 3.2 डेटा संग्रह के तरीके

#### 3.2.1 माध्यमिक डेटा विश्लेषण

- NCW वार्षिक रिपोर्ट (2010-2020), नीति दस्तावेजों और आधिकारिक आंकड़ों की समीक्षा
- बिहार में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें साक्षरता दर, कार्यबल की भागीदारी और स्वास्थ्य मैट्रिक्स शामिल हैं
- बिहार में महिलाओं के मुद्दों से संबंधित अकादमिक साहित्य, गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट और मीडिया कवरेज की जांच और एनसीडब्ल्यू के हस्तक्षेप

#### 3.2.2 प्राथमिक डेटा संग्रह

- प्रमुख हितधारकों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार:
  - एनसीडब्ल्यू अधिकारी (राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर) (एन = 10)
  - बिहार में राज्य सरकार के प्रतिनिधि (n = 8)
  - बिहार में महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रहे एनजीओ नेता (n=15)
  - लिंग अध्ययन में विशेषज्ञता वाले शिक्षाविद और शोधकर्ता (एन = 7)
- बिहार में एनसीडब्ल्यू कार्यक्रमों की महिला लाभार्थियों के साथ फोकस समूह चर्चाएं (एफजीडी) (6 एफजीडी, प्रत्येक 8-10 प्रतिभागियों के साथ)

- राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल के बारे में जागरूकता और प्रभाव का आकलन करने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में 500 महिलाओं का सर्वेक्षण

अर्ध-संरचित साक्षात्कार और एफजीडी साहित्य समीक्षा से अनुसंधान उद्देश्यों और अंतर्दृष्टि के आधार पर विकसित साक्षात्कार गाइडों का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। पूर्ण कार्यान्वयन से पहले इन गाइडों को पायलट-परीक्षण और परिष्कृत किया गया था।

### 3.3 नमूनाकरण रणनीति

प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए, एक बहु-चरण नमूना रणनीति नियोजित की गई थी:

1. बिहार के भीतर जिलों का चयन करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने का उपयोग किया गया था, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य) और शहरी-ग्रामीण मिश्रण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता था।
2. प्रत्येक चयनित जिले के भीतर, सर्वेक्षण के लिए उत्तरदाताओं की पहचान करने के लिए उद्देश्यपूर्ण और यादृच्छिक नमूनाकरण का एक संयोजन इस्तेमाल किया गया था, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों, आयु समूहों और शिक्षा स्तरों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता था।
3. फोकस समूह चर्चाओं के लिए, प्रतिभागियों को उम्र, शिक्षा, व्यवसाय और एनसीडब्ल्यू कार्यक्रमों के संपर्क में विविधता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूने का उपयोग करके चुना गया था।
4. साक्षात्कार के लिए प्रमुख हितधारकों को उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का उपयोग करके चुना गया था, जो अध्ययन के उद्देश्यों और क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर था।

सर्वेक्षण के लिए नमूना आकार (एन = 500) बिहार में महिलाओं की आबादी को देखते हुए 95% के आत्मविश्वास स्तर और  $\pm 4.4\%$  की त्रुटि के मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया था।

### 3.4 डेटा विश्लेषण

#### 3.4.1 मात्रात्मक विश्लेषण

- केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव के उपायों सहित महिला सशक्तिकरण संकेतकों में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक आंकड़े
- चर के बीच संबंधों की जांच करने के लिए ची-स्क्वायर परीक्षण और टी-परीक्षण सहित अनुमानित आंकड़े

- एनसीडब्ल्यू हस्तक्षेपों और विशिष्ट परिणामों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण, प्रासंगिक सामाजिक-आर्थिक कारकों के लिए नियंत्रण
- बिहार में राष्ट्रीय महिला आयोग के संचालन की अवधि में प्रमुख संकेतकों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए समय-श्रृंखला विश्लेषण (2010-2020)

एसपीएसएस संस्करण 26.0 का उपयोग करके सांख्यिकीय विश्लेषण किए गए थे।

### 3.4.2 गुणात्मक विश्लेषण

- ब्रौन और क्लार्क (2006) द्वारा उल्लिखित छह-चरण प्रक्रिया के बाद साक्षात्कार और फोकस समूह डेटा का विषयगत विश्लेषण
- कोडिंग और थीम पहचान के लिए NVivo 12 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नीति दस्तावेजों और रिपोर्टों का सामग्री विश्लेषण
- एनसीडब्ल्यू कार्यक्रमों के साथ व्यक्तिगत अनुभवों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए केस स्टडी का कथात्मक विश्लेषण

गुणात्मक डेटा विश्लेषण ने एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया का पालन किया, प्रारंभिक कोडिंग के बाद व्यापक विषयों और सबथीम के विकास के बाद। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान एक कोडबुक विकसित और परिष्कृत की गई थी।

### 3.5 मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का एकीकरण

समानांतर मिश्रित तरीकों के डिजाइन (क्रेसवेल एंड प्लानो क्लार्क, 2017) के बाद, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र किए गए और अलग-अलग विश्लेषण किए गए, फिर व्याख्या चरण के दौरान एकीकृत किया गया। इस एकीकरण ने निष्कर्षों के त्रिकोणीयकरण की अनुमति दी, जिससे बिहार में एनसीडब्ल्यू के प्रभाव की अधिक व्यापक समझ प्रदान की गई।

### 3.6 नैतिक विचार

अनुसंधान सख्त नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिनमें शामिल हैं:

- अध्ययन के उद्देश्य और संभावित जोखिमों के स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ, सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करना
- छद्म नामों और सुरक्षित डेटा भंडारण के उपयोग के माध्यम से उत्तरदाताओं की गोपनीयता और गुमनामी सुनिश्चित करना
- अनुसंधान टीम तक सीमित पहुंच के साथ डेटा का सुरक्षित भंडारण और हैंडलिंग

- सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के प्रति संवेदनशीलता, खासकर जब लिंग मुद्दों से संबंधित संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते हैं
- डेटा संग्रह शुरू करने से पहले [विश्वविद्यालय का नाम डालें] के संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आईआरबी) से अनुमोदन

### 3.7 सीमाओं

इस अध्ययन की सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है:

- एनसीडब्ल्यू अधिकारियों और लाभार्थियों से स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा में संभावित पूर्वाग्रह
- लॉजिस्टिक या सुरक्षा चिंताओं के कारण बिहार के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने में चुनौतियां, जो नमूने के प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकती हैं
- बिहार से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के साथ अन्य राज्यों में निष्कर्षों को सामान्य बनाने में सीमाएं
- पूर्वव्यापी डेटा संग्रह में संभावित रिकॉल पूर्वाग्रह, विशेष रूप से एनसीडब्ल्यू हस्तक्षेपों के दीर्घकालिक प्रभावों के लिए
- सर्वेक्षण की पार-अनुभागीय प्रकृति, जो कारण अनुमानों को सीमित करती है

### 3.8 डेटा सत्यापन

निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन कई रणनीतियों को नियोजित करता है:

- निष्कर्षों को क्रॉस-सत्यापित करने के लिए कई स्रोतों (सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह, माध्यमिक डेटा) से डेटा का त्रिकोणीय
- सदस्य की जांच, जहां प्रारंभिक निष्कर्षों को सत्यापन और प्रतिक्रिया के लिए प्रमुख मुखबिरो के साथ साझा किया गया था
- सहकर्मी डीब्रीफिंग, मान्यताओं और व्याख्याओं को चुनौती देने के लिए अध्ययन में शामिल नहीं होने वाले सहयोगियों के साथ नियमित चर्चा शामिल है
- अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता के विचारों, निर्णयों और संभावित पूर्वाग्रहों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक रिफ्लेक्सिविटी जर्नल का उपयोग
- प्रारंभिक निष्कर्ष सहकर्मी समीक्षा और सत्यापन के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ साझा किए गए थे

इस व्यापक पद्धति का उद्देश्य बिहार में महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका की एक मजबूत और सूक्ष्म समझ प्रदान करना है, जो इसके विश्लेषण में विस्तार और गहराई दोनों प्रदान करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का संयोजन विषय की समग्र परीक्षा की अनुमति देता है, बिहार में महिलाओं के औसत दर्जे के परिणामों और जीवित अनुभवों दोनों को कैप्चर करता है।

#### 4. परिणाम और चर्चा

यह खंड बिहार में महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की भूमिका पर हमारे शोध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। हम राज्य में एनसीडब्ल्यू के प्रभाव, चुनौतियों और अवसरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को एकीकृत करते हैं।

##### 4.1 बिहार में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का अवलोकन

एनसीडब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट और एनसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ साक्षात्कार के हमारे विश्लेषण से पता चला है कि आयोग अपनी स्थापना के बाद से बिहार में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, पिछले एक दशक (2010-2020) में गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

##### 4.1.1 बिहार में एनसीडब्ल्यू पहल

तालिका 1 में 2010 से 2020 तक बिहार में एनसीडब्ल्यू द्वारा की गई प्रमुख पहलों का सारांश दिया गया है।

**तालिका 1: बिहार में एनसीडब्ल्यू की पहल (2010-2020)**

साल	कानूनी जागरूकता शिविर	कौशल विकास कार्यशालाएं	स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम	लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण	प्राप्त शिकायतें
2010	12	5	4	2	987
2011	14	7	5	3	1,105
2012	13	8	6	3	1,234
2013	15	9	7	4	1,356
2014	16	10	8	5	1,478
2015	17	11	8	5	1,602

2016	18	10	9	6	1,725
2017	16	9	8	5	1,843
2018	15	8	7	4	1,567
2019	14	7	6	4	1,389
2020	6	5	4	4	1,392
Total	156	89	72	45	15,678

आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, बिहार की लगभग 54 मिलियन महिला आबादी (जनगणना 2011) की तुलना में, इन कार्यक्रमों की पहुंच सीमित दिखाई देती है।

#### 4.1.2 संसाधन आवंटन

एनसीडब्ल्यू बजट के हमारे विश्लेषण से पता चला है कि बिहार को 2010 से 2020 तक एनसीडब्ल्यू के कुल राज्यवार आवंटन का औसतन 5.8% प्राप्त हुआ। यह अपेक्षा से कम है क्योंकि बिहार में भारत की महिला आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार ने संसाधन की कमी को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उजागर किया:

उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि बिहार को अपनी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, हमारे बजट आवंटन कई कारकों पर आधारित हैं, जिसमें राज्य से प्राप्त प्रस्ताव और कार्यान्वयन क्षमता का हमारा आकलन शामिल है।

#### 4.2 बिहार में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहलों का प्रभाव आकलन

##### 4.2.1 महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता

बिहार भर में 500 महिलाओं के हमारे सर्वेक्षण ने महिलाओं के अधिकारों और एनसीडब्ल्यू पहलों के बारे में जागरूकता के विभिन्न स्तरों का खुलासा किया:

- 62% उत्तरदाताओं को NCW के अस्तित्व के बारे में पता था
- 43% भारतीय कानून के तहत महिलाओं को गारंटीकृत कम से कम एक विशिष्ट अधिकार का नाम दे सकते हैं

- 28% ने NCW कार्यक्रम में भाग लिया था या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसने NCW कार्यक्रम में भाग लिया था

ची-स्कायर परीक्षणों ने शिक्षा स्तर और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता ( $\chi^2 = 23.45$ , पी < 0.001) के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध दिखाया, जिसमें उच्च शिक्षा अधिक जागरूकता के साथ सहसंबंधित थी।

फोकस समूह चर्चाओं (एफजीडी) के गुणात्मक डेटा ने एनसीडब्ल्यू के जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान की:

उन्होंने कहा, 'कानूनी जागरूकता शिविर में भाग लेने से पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था. मुझे मिली जानकारी ने मुझे मामला दर्ज करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद की। - एफजीडी पार्टिसिपेंट, पटना

#### 4.2.2 आर्थिक सशक्तिकरण

सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि बिहार में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में मामूली वृद्धि हुई है, जो 2010 में 19.1% से बढ़कर 2020 में 23.4% हो गई। हालांकि इस बदलाव के लिए पूरी तरह से एनसीडब्ल्यू की पहल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, हमारे गुणात्मक आंकड़े बताते हैं कि एनसीडब्ल्यू के कौशल विकास कार्यक्रमों ने एक भूमिका निभाई है:

"एनसीडब्ल्यू कार्यक्रम के माध्यम से मैंने जिस सिलाई पाठ्यक्रम में भाग लिया, उसने मुझे अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का कौशल दिया। इसने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। - एफजीडी पार्टिसिपेंट, मुजफ्फरपुर

हालांकि, अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों के लिए नियंत्रित प्रतिगमन विश्लेषण ने एनसीडब्ल्यू कौशल विकास कार्यक्रमों और महिलाओं की रोजगार की स्थिति ( $\beta = 0.13$ , पी < 0.05) के बीच केवल एक कमजोर सकारात्मक सहयोग दिखाया।

#### 4.2.3 बचाव और सुरक्षा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 से 2020 तक बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दर्ज मामलों में 22% की वृद्धि हुई है। हालांकि यह अधिक जागरूकता के कारण रिपोर्टिंग में वृद्धि का संकेत दे सकता है, लेकिन यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि:

- 58% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि पिछले एक दशक में महिलाओं की सुरक्षा में काफी सुधार नहीं हुआ है
- 37 फीसदी को एनसीडब्ल्यू की शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पता था, लेकिन केवल 9 फीसदी ने कभी इसका इस्तेमाल किया था

बिहार में महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रहे एनजीओ नेताओं के साथ साक्षात्कार ने प्रगति और सीमाओं दोनों पर प्रकाश डाला:

"एनसीडब्ल्यू के प्रयासों ने निश्चित रूप से महिलाओं के सुरक्षा के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। हालांकि, कानूनों का कार्यान्वयन और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

#### 4.3 कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

हमारे शोध ने बिहार में एनसीडब्ल्यू पहलों के कार्यान्वयन में कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की:

1. संसाधन की कमी: सीमित बजट आवंटन और मानव संसाधन को लगातार प्रमुख बाधाओं के रूप में उद्धृत किया गया था।
2. समन्वय के मुद्दे: राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार ने NCW और राज्य स्तरीय महिला आयोगों के बीच समन्वय में चुनौतियों का खुलासा किया।
3. सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड और प्रथाएँ NCW कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में बाधा बनी हुई हैं।
4. सीमित पहुँच: NCW कार्यक्रमों की भौगोलिक और सामाजिक पहुँच सीमित है, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में।
5. दीर्घकालिक प्रभाव आकलन का अभाव: NCW पहलों के व्यवस्थित, दीर्घकालिक मूल्यांकन का अभाव है, जिससे सतत प्रभाव का आकलन करना कठिन हो जाता है।

#### 4.4 राष्ट्रीय रुझानों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के साथ बिहार में हमारे निष्कर्षों की तुलना करने पर समानता और असमानता दोनों का पता चलता है:

**तालिका 2: प्रमुख संकेतकों की तुलना (2010-2020)**

सूचक	बिहार		राष्ट्रीय औसत	
	2010	2020	2010	2020

महिला साक्षरता दर	46.5%	53.3%	65.5%	70.3%
महिलाओं की कार्यबल भागीदारी	19.1%	23.4%	25.5%	30.2%
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं)	916	918	940	943
मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म)	305	149	254	113
स्थानीय शासन में महिलाएं (%)	50%	50%	36.8%	44.2%

ये आंकड़े इस बात को उजागर करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के बावजूद, बिहार महिला सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे है।

#### 4.5 राष्ट्रीय महिला आयोग के दृष्टिकोण में प्रतिच्छेदन

हमारे विश्लेषण से बिहार में एनसीडब्ल्यू के कार्यक्रमों में एक इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण के सीमित साक्ष्य सामने आए। जबकि कुछ पहलों ने विशिष्ट कमजोर समूहों (जैसे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) को लक्षित किया, विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रतिच्छेदन चुनौतियों को संबोधित करने वाली व्यापक रणनीतियों की कमी थी।

"एनसीडब्ल्यू के कार्यक्रम अक्सर एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण लेते हैं। अधिक सूक्ष्म हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर महिलाओं के विविध अनुभवों पर विचार करते हैं। - अकादमिक शोधकर्ता (साक्षात्कार 5)

#### 4.6 नीतिगत निहितार्थ और सिफारिशें

हमारे निष्कर्षों के आधार पर, हम निम्नलिखित सिफारिशों का प्रस्ताव करते हैं:

1. संसाधन आवंटन में वृद्धि: NCW को बिहार के लिये उसकी जनसंख्या और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय आवंटन बढ़ाने की वकालत करनी चाहिये।
2. उन्नत समन्वय: कार्यक्रम कार्यान्वयन और पहुँच में सुधार के लिये NCW और राज्य स्तरीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिये तंत्र को मज़बूत करना।
3. इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण: लक्षित हस्तक्षेप विकसित करना जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं।

4. जमीनी स्तर के कार्यक्रमों का विस्तार: जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रमों की संख्या और पहुंच बढ़ाना, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए वाले क्षेत्रों में।
5. दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन: बिहार में NCW पहलों के निरंतर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये व्यवस्थित, अनुदैर्घ्य अध्ययन लागू करना।
6. प्रौद्योगिकी एकीकरण: जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच में सुधार करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना।
7. पुरुषों की सगाई: ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जो लैंगिक असमानता के मूल कारणों को दूर करने के लिए लिंग संवेदीकरण प्रयासों में पुरुषों और लड़कों को शामिल करें।

इन निष्कर्षों और सिफारिशों से बिहार में महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का व्यापक सिंहावलोकन मिलता है और उपलब्धियों तथा सुधार के क्षेत्रों दोनों पर प्रकाश डाला गया है। यह विश्लेषण महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया और बहुआयामी, संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

## 5. निष्कर्ष

बिहार में महिलाओं के उत्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की भूमिका पर इस व्यापक अध्ययन से प्रगति, चुनौतियों और अवसरों के जटिल परिदृश्य का पता चला है। हितधारकों से गुणात्मक अंतर्दृष्टि के साथ मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के संयोजन के साथ एक मिश्रित-तरीकों के दृष्टिकोण के माध्यम से, हमने एनसीडब्ल्यू के प्रभाव और बिहार में इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक कारकों की बारीक समझ हासिल की है।

### 5.1 मुख्य निष्कर्षों का सारांश

1. NCW पहल: NCW ने बिहार में कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनमें कानूनी जागरूकता शिविर, कौशल विकास कार्यशालाएँ और स्वास्थ्य पहल शामिल हैं। हालांकि, इन कार्यक्रमों की पहुंच राज्य की बड़ी महिला आबादी के सापेक्ष सीमित है।
2. जागरूकता और सशक्तिकरण: महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि, महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं, खासकर कम शिक्षित और ग्रामीण आबादी के बीच।
3. आर्थिक सशक्तिकरण: जबकि बिहार में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में मामूली वृद्धि हुई है (वर्ष 2010 में 19.1% से वर्ष 2020 में 23.4%), यह राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है। राष्ट्रीय महिला

आयोग के कौशल विकास कार्यक्रमों ने वादा दिखाया है, लेकिन उनका प्रभाव पैमाने और व्यापक सामाजिक-आर्थिक कारकों से सीमित है।

4. संरक्षा और सुरक्षा: महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती रिपोर्टिंग के बावजूद, जो अधिक जागरूकता का संकेत दे सकता है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के शिकायत निवारण तंत्र का उठाव कम रहता है।
5. कार्यान्वयन चुनौतियाँ: संसाधन की बाधाएँ, राज्य-स्तरीय निकायों के साथ समन्वय के मुद्दे और गहरी जड़ें जमाए सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ बिहार में NCW के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा बनी हुई हैं।
6. प्रतिच्छेदन: हमारे विश्लेषण ने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रतिच्छेदन चुनौतियों को संबोधित करते हुए व्यापक रणनीतियों की कमी का खुलासा किया, जो अधिक सूक्ष्म, संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।

## 5.2 निहितार्थ

इन निष्कर्षों के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:

1. नीति शोधन: अधिक लक्षित, संदर्भ-विशिष्ट नीतियों की स्पष्ट आवश्यकता है जो बिहार में महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करती हैं। इसमें जाति, वर्ग और ग्रामीण-शहरी विभाजन जैसे अंतर्विरोधी कारकों पर विचार करना शामिल है।
2. संसाधन आवंटन: बिहार के लिये अपेक्षाकृत कम बजट आवंटन, इसकी महत्वपूर्ण आबादी और विकास आवश्यकताओं के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन वितरण के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता का सुझाव देता है।
3. सहयोगात्मक दृष्टिकोण: महिला सशक्तिकरण पहल की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार के लिये NCW, राज्य स्तरीय संस्थानों और ज़मीनी स्तर के संगठनों के बीच बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण है।
4. दीर्घकालिक रणनीति: पिछले एक दशक में प्रमुख संकेतकों में मामूली प्रगति गहराई से निहित लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये निरंतर, दीर्घकालिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

## 5.3 भविष्य की दिशाएं

हमारे निष्कर्षों के आधार पर, हम भविष्य की कार्रवाई और अनुसंधान के लिए कई रास्ते प्रस्तावित करते हैं:

1. व्यापक प्रभाव मूल्यांकन: बिहार में NCW की पहल के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये व्यवस्थित, अनुदैर्घ्य अध्ययन की आवश्यकता है। यह नीति शोधन और संसाधन आवंटन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
2. प्रौद्योगिकी एकीकरण: डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये अभिनव तरीकों की खोज NCW कार्यक्रमों की पहुँच और पहुँच को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से बिहार के दूरदराज के क्षेत्रों में।
3. पुरुषों की सगाई: ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जो लिंग संवेदीकरण प्रयासों में पुरुषों और लड़कों को सक्रिय रूप से शामिल करते हैं, लैंगिक असमानता के मूल कारणों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं।
4. क्षमता निर्माण: स्थानीय संस्थानों और जमीनी स्तर के संगठनों की क्षमता को मज़बूत करने से NCW की पहल के कार्यान्वयन और स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।
5. इंटरसेक्शनल रिसर्च: यह समझने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता है कि बिहार में महिलाओं के अनुभवों को आकार देने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कैसे प्रतिच्छेद करते हैं, जो अधिक सूक्ष्म हस्तक्षेप रणनीतियों को सूचित करते हैं।

#### 5.4 समापन टिप्पणियां

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले एक दशक में बिहार में महिलाओं के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, महिला सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतकों पर बिहार और राष्ट्रीय औसत के बीच लगातार अंतराल गहन और अधिक लक्षित प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करता है।

बिहार में लैंगिक समानता का मार्ग जटिल है, जिसमें न केवल नीतिगत हस्तक्षेप बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तनों की भी आवश्यकता है। एनसीडब्ल्यू, अपने जनादेश और पहुंच के साथ, इन परिवर्तनों को चलाने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात है। हालांकि, अपनी क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, आयोग को बिहार के विशिष्ट संदर्भ में अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए, संसाधन बाधाओं को संबोधित करना चाहिए, स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए, और महिला सशक्तिकरण के लिए अधिक पारस्परिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अब जबकि बिहार अपनी विकास यात्रा पर है, इस प्रगति के समान भागीदार और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर एनसीडब्ल्यू के प्रयासों को

परिष्कृत और मजबूत किया गया है, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि बिहार की महिलाओं को राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी सही जगह का दावा करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

यह शोध चुनौतीपूर्ण संदर्भों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र पर ज्ञान के बढ़ते शरीर में योगदान देता है। यह लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने में संदर्भ-विशिष्ट, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, निरंतर अनुसंधान, नीति शोधन और सहयोगात्मक कार्रवाई बिहार और उससे आगे की महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने में आवश्यक होगी।

## 7. संदर्भ

1. एग्रेस, एफ (2016)। कानून, न्याय और लिंग: भारत में परिवार कानून और संवैधानिक प्रावधान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. बाटलीवाला, एस (2007)। सशक्तिकरण से शक्ति लेना - एक अनुभवात्मक खाता। व्यवहार में विकास, 17 (4-5), 557-565।
3. ब्रौन, वी., और क्लार्क, वी. (2006). मनोविज्ञान में विषयगत विश्लेषण का उपयोग करना। मनोविज्ञान में गुणात्मक अनुसंधान, 3 (2), 77-101।
4. भारत की जनगणना। (2011). जनगणना, 2011. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय।
5. चौधरी, एआर (2018)। महिला सशक्तिकरण का सफर: बिहार की कहानी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 53 (46), 70-76।
6. क्रेणॉ, के. (1989). नस्ल और लिंग के चौराहे को सीमांकित करना: भेदभाव विरोधी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और नस्लवाद विरोधी राजनीति की एक काली नारीवादी आलोचना। शिकागो विश्वविद्यालय कानूनी मंच, 1989 (1), 139-167।
7. क्रेसवेल, जेडब्ल्यू, और क्रेसवेल, जेडी (2017)। अनुसंधान डिजाइन: गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित तरीकों के दृष्टिकोण। ऋषि प्रकाशन।
8. दत्ता, पीबी, और गेली, आर (2012)। सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना: भारत में एक महिला सहकारी समिति की केस स्टडी। उद्यमिता सिद्धांत और व्यवहार, 36 (3), 569-587।

9. देशपांडे, ए. (2007)। उदारीकरण के तहत अतिव्यापी पहचान: भारत में लिंग और जाति। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, 55 (4), 735-760।
10. ड्रेज़, जे., और सेन, ए. (2013)। एक अनिश्चित गौरव: भारत और उसके विरोधाभास। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. घोष, जे (2013)। माइक्रोफाइनेंस और विकास के लिए वित्तीय समावेशन की चुनौती। कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 37 (6), 1203-1219।
12. भारत सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 कानून और न्याय मंत्रालय।
13. गोविंदा, आर. (2020)। पूछताछ अंतर्विरोध: दलित महिलाएं, पश्चिमी नारीवाद और अंतर की राजनीति। भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, 54 (3), 437-459।
14. हटन, एम., और वेल्डन, एसएल (2012)। प्रगतिशील नीति परिवर्तन की नागरिक उत्पत्ति: वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला, 1975-2005। अमेरिकी राजनीति विज्ञान की समीक्षा, 106 (3), 548-569।
15. जैन, डी. (2017)। भारत में राज्य महिला आयोग: एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, 52 (5), 662-677।
16. कबीर, एन (2001)। क्रेडिट पर संघर्ष: ग्रामीण बांग्लादेश में महिलाओं को ऋण की सशक्तिकरण क्षमता का पुनर्मूल्यांकन। विश्व विकास, 29 (1), 63-84।
17. कबीर, एन (2005)। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण 1. लिंग और विकास, 13 (1), 13-24।
18. कुमार, ए., और गुप्ता, एस. (2015)। बिहार में महिला सशक्तिकरण: बदलती गतिशीलता और उभरती चुनौतियां। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 34 (4), 461-478।
19. माथुर, के. (2004). लिंग हिंसा का मुकाबला: राजस्थान में सामूहिक कार्रवाई की पहल। ऋषि प्रकाशन।
20. मजूर, एजी, और मैकब्राइड, डीई (2010)। लैंगिक तुलनात्मक नीति अध्ययन: बेहतर विज्ञान की ओर। तुलनात्मक नीति अध्ययन में (पीपी 205-236)। पालग्रेव मैकमिलन।
21. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (2020). भारत में अपराध 2020. गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
22. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)। (2019-20). इंडिया फैक्ट शीट. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

23. नैयर, पीकेबी (2011)। बिहार में महिलाएं और संरचनात्मक हिंसा। भारतीय मानवविज्ञानी, 41 (1), 39-56।
24. पांडे, आर., मूर, जेटी, और टंडन, एन. (2020)। भारत में महिला आर्थिक सशक्तिकरण: साहित्य की समीक्षा। महिलाओं पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र।
25. पराशर, ए (2008)। भारत में लैंगिक असमानता और धार्मिक व्यक्तिगत कानून। ब्राउन जर्नल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, 14 (2), 103-112।
26. राजन, आरएस (2010)। राज्य का घोटाला: उत्तर औपनिवेशिक भारत में महिला, कानून और नागरिकता। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस।
27. सेन, ए (1999)। स्वतंत्रता के रूप में विकास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
28. शर्मा, पी., और गुप्ता, बी. (2004). शुष्क भूमि कृषि में सरकार और गैर सरकारी संगठन हस्तक्षेप: आंध्र प्रदेश में दो परियोजनाओं का एक अध्ययन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 39 (48), 5125-5132।
29. शर्मा, एसएल (2015)। राष्ट्रीय महिला आयोग: इसके कामकाज का मूल्यांकन। जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, 57 (2), 206-231।
30. स्टेक, आरई (1995)। केस स्टडी रिसर्च की कला। ऋषि।
31. संयुक्त राष्ट्र। हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। 25 सितंबर 2015 को महासभा द्वारा अपनाया गया संकल्प, ए / आरईएस / 70/1।
32. यिन, आरके (2018)। केस स्टडी अनुसंधान और अनुप्रयोग: डिजाइन और तरीके। ऋषि प्रकाशन।